सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक /उ0सू0आ0/2021–22 दिनांक 2022

कार्यालय आदेश

कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यालय आदेश संख्या 3570/उ0सू0आ0/2021–22 दिनांक 22.06.2021 के द्वारा आयोग में योजित द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई में पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगाया गया था। मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिसूचना संख्या 16/UHC/Admin.B/2022 दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन में आयोग के कार्यालय आदेश दिनांक 22.06.2021 के द्वारा द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई में पक्षकारों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर लगाये गयें प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। उक्त कार्यालय आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कोविड–19 महामारी के संबंध में जारी निर्देशों के अधीन होगा।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

पत्रांक 8429 /उ0सू0आ0/2021–22 दिनांक 16/3/2022
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्त को मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. गार्ड फाइल।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव